संख्या:18/2015/465/35-1-2015

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: **23** अप्रैल, 2015

विषय: चिन्हित 5 केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के डिजिटाइजेशन एवं आधार कार्ड की सीडिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश सं0:1/17एम(4)/35-आ-1/2009-12-टी0सी0 दिनांक 5.12.014 का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त शासनादेश के माध्यम से केन्द्र द्वारा संचालित योजनायें- मनरेगा, तीनों प्रकार की पेंशन योजनायें, अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा एल0पी0जी0 वितरण के लाभार्थियों की सूचनाओं का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने एवं उन लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या को बैंक खातों तथा डिजिटाइज्ड डाटाबेस में लिंकेज करने के निर्देश दिये गये थे।

2. तत्क्रम में प्रमुख सचिव नियोजन के स्तर पर दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की गयी थी जिसका कार्यवृत्त भी निर्गत किया गया था। मुख्य सचिव के स्तर पर भी शासन स्तर पर समीक्षा दिनांक 20 जनवरी, 2015 को की गयी थी, जिसका विस्तृत कार्यवृत्त समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया था। 31 मार्च, 2015 तक की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि इस कार्य में प्रगति अभी भी संतोषजनक नहीं है जिससे यह संकेत मिलता है कि सम्बंन्धित जिलाधिकारी इस कार्य में पूर्ण रूचि नहीं ले रहे हैं। समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त 5 योजनाओं से मात्र एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर का आधार कार्ड से लिंकेज 31 प्रतिशत हुआ है जबकि अन्य योजनाओं में यह प्रगति अत्यन्त ही न्यून है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2/2015/293/31-2015-76/2014 दिनांक 28.01.2015 की ओर दिलाया जाता रहा है जिसमें वर्ष 2015-16 के लिये विकास का एजेण्डा निर्धारित हुआ है। उक्त विकास के एजेण्डे में सूत्र संख्या-153 में आधार कार्ड नामांकन एवं चिन्हित योजनाओं की सीडिंग कराया जाना सम्मिलित है।

4. उपरोक्त से यह स्वत: स्पष्ट है कि शासन द्वारा इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है तथा इस योजना से सम्बन्धित जनपदों की मासिक समीक्षा की जायेगी। तत्क्रम में आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें एवं जिन भी लाभार्थियों के आधार कार्ड बन चुके हैं उनका विभागीय डाटाबेस एवं बैंक खातों में लिंकेज सुनिश्चित कराया जाय।

5. जैसा कि पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि इस कार्य में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:-

5.1 मनरेगा के पंजीकृत जॉबकार्ड होल्डर, निराश्रित महिला/वृद्धावस्था/विकलांगजन पेंशन के लाभार्थियों की ग्रामवार तथा बैंक शाखावार सूची जनपद स्तर पर उपलब्ध विकास खण्ड से डिजिटाइज्ड डाटाबेस से प्रिन्ट करायी जायेगी। इस सूची में ग्रामवार, बैंक शाखावार लाभार्थियों का नाम, पिता का नाम एवं उसकी बैंक खाता संख्या का विवरण दर्ज होगा और आधार कार्ड संख्या का एक कालम रिक्त दर्शाया जायेगा। इस कार्य हेतु एन0आई0सी0 द्वारा अपने सॉफ्टवेयर में व्यवस्था की जा रही है।

5.2 इस प्रिन्ट की तीन प्रतिलिपि तैयार की जायेंगी तथा इसे ग्राम स्तरीय कर्मचारी को ग्रामवार हस्तगत करा दी जायेगी।

5.3 ग्राम स्तरीय कर्मचारी उपरोक्त सूची के अनुसार सभी लाभार्थियों का शत-प्रतिशत सर्वे करेंगे। जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड बन चुका है उनकी आधार कार्ड संख्या सूची में नाम के समक्ष दर्ज करेंगे। उक्त के साथ ही आधार कार्ड की फोटो प्रतिलिपि भी अपने साथ संकलित करेंगे। इन सूचियों को प्रिन्ट कराने, फोटो कापी कराने एवं लाभार्थियों के आधार कार्ड की फोटो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कापी पर आने वाला व्यय सम्बन्धित योजनाओं के प्रशासनिक व्यय से वहन किया जायेगा।

5.4 यह सूची तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी जिसका निम्नवत् प्रयोग किया जायेगा :-

(i) एक प्रति से विभागीय डिजिटाइज्ड डाटाबेस में आधार कार्ड संख्या दर्ज करायी जायेगी तथा उसे उस कार्यालय में रक्षित किया जायेगा जहां यह डाटाबेस उपलब्ध है। यह कार्य सम्बन्धित योजनाओं के उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा।

(ii) दूसरी प्रतिलिपि आधार कार्ड की फोटो कापी सहित सम्बन्धित बैंक शाखा को हस्तगत करा दी जायेगी जिससे कि वह सम्बन्धित बैंक खातों की सीडिंग विधिवत सुनिश्चित करायें।

(iii) तीसरी प्रतिलिपि ग्राम स्तरीय कर्मचारी के पास रहेगी जिससे वह जानकारी ले सकेंगे कि किन लाभार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है। ऐसे लाभार्थियों का वरीयता से आधार कार्ड का नामांकन निकट भविष्य में बिना किसी विलम्ब के सुनिश्चित कराया जाय।

5.5 इस प्रक्रिया से इन योजनाओं के लाभार्थियों के विभागीय डाटाबेस को अद्यावधिक किया जायेगा और बैंक खातों से आधार कार्ड संख्या का लिंकेज कराया जायेगा।

6. विभिन्न छात्रवृत्तियों के डिजिटाइजेशन कार्य उनके द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भरने के समय स्वत: सुनिश्चित हो जाता है। सम्बन्धित विभाग, एन0आई0सी0 की सहायता से साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करायेंगे जिससे छात्रवृत्ति के ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देते समय लाभार्थियों का आधार कार्ड संख्या (अगर हो) भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

7. राशनकार्ड के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पृथक से डिजिटाइजेशन की कार्यवाही की जा रही है जिसके माध्यम से आधार कार्ड संख्या की सूचना भी एकत्र की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. इसी संदर्भ में नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-3/2015/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12 टी0सी0-1 दिनांक 31.03.2015 द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2013 की प्रतिलिपि भी अनुपालनार्थ उपलब्ध करायी गयी थी। तत्क्रम में पुन: स्पष्ट किया जाता है कि जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड बने हैं उनकी जानकारी के डाटाबेस को अद्यावधिक करने व बैंक खातों से उनको जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी और सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड बनवाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा परन्तु किसी लाभार्थी को अनुदान व शासकीय योजनाओं के अनुमन्य लाभ इस कारण से वंचित नहीं किया जायेगा कि उनका आधार कार्ड नहीं बना है। इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेशों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार चिन्हित लाभार्थियों के आधार कार्ड तथा उनके बैंक खातों में लिंकेज की कार्यवाही हेतु अपने नेतृत्व में समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:18/2015/465/35-1-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, महिला कल्याण, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, विकलांग जन कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in